



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062026-273881  
CG-DL-E-27062026-273881

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3276]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/ आषाढ 4, 1948

No. 3276]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ ASHADHA 4, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

का.आ. 3410(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार के अधिसूचना संख्या का.आ. 2067 (अ) दिनांक 09 मई, 2025 भारत के राजपत्र में प्रकाशित आसाधारण भाग- (11), खण्ड-3, उपखण्ड (ii) अधिसूचना संख्या कां.आ. 2067 (अ) दिनांक 09 मई, 2025 के दिनांकित में निम्नांकित संशोधन करती है।

## आवश्यक संशोधनों का विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक संख्या	मूल अधिसूचना/बाद की अधिसूचना में संशोधन की आवश्यकता वाले मामले			संशोधित		
	जगह	मामले का विवरण				
1	क्रमांक1, स्तंभ 7	तालुक का नाम	गांव का नाम		तालुक का नाम	गांव का नाम
		हरैया	1	थान्वहरपुर	हरैया	1

**फुटनोट:-** मुख्य अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2067 (अ), दिनांक 09 मई, 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

[फा.सं. RO-LKO-NH(O)-NH-227B-2021-22]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th June, 2026

**S.O. 3410(E).**— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 2067 (E), dated 09th May, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-Section (ii) S.O. 2067(E), dated 09th May, 2025 namely:

## Details of amendment required as under-

Sl. No.	Matter in principal notification that requires amendment			Matter to be amended as			
	Location	Details of matter					
1	Serial No. 1, Column 7	Name of Taluk	Name of Village		Name of Taluk	Name of Village	
		Harraiya	1	Thanwaharpur	Harraiya	1	Thanhwarpur

**Foot Note:** - The Principal notification was published vide number S.O. 2067(E), Dated 09th May, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii)

[F. No. RO-LKO-NH(O)-NH-227B-2021-22]

SHAIKH AMINKHAN, Director